बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों की राज्यस्तरीय मासिक बैठक दिनांक–11.03.2015 की कार्यवाही।

1. उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।
2. बैठक को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा निदेशक, भू–अर्जन द्वारा संबोधित किया गया। प्रधान सचिव महोदय द्वारा परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन/अधिग्रहण के कार्यों कि महत्ता पर प्रकाश डाला गया तथा यह निदेश दिया गया कि परियोजनाओं के भू–अर्जन कार्यों को तीव्रता पूर्वक निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाय। साथ ही, प्रभावित हितवद्ध रैयतों को भी मुआवजा भुगतान त्वरित गति से निर्धारित समय सीमा के अन्दर की जाय। उनके द्वारा यह बताया गया कि आवश्यक रूप से मुआवजा भुगतान लंबित रखने की कार्रवाई को गंभीरता से लिया जायेगा।
3. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि मुआवजा भुगतान के लिए यदि पी0डी0 एकाउन्ट में कम राशि हो तो राशि की मांग अविलम्ब अधियाची विभाग से मांग की जाय।
4. नये भू–अर्जन अधिनियम 2013 के तहत प्राप्त प्रस्ताव में कितना एस0 आई0 ए0 के लिए भेजा गया तथा धारा–24 के तहत कितना प्रक्कलन/पंचाट की कार्रवाई चल रही है, उसकी अद्यतन स्थिति विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। नये भू–अर्जन अधिनियम के तहत की गयी राशि का मुआवजा भुगतान नये प्रपत्र में जोड़ने का भी निदेश दिया गया।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि निर्धारण के संबंध में तथा एन0 एच0 ए0 आई0 से संबंधित चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारीयों के साथ की गई।

   एन0 एच0 ए0 आई0 से संबंधित परियोजनाओं में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी शेखपुरा, गोपालगंज, सारण एवं अररिया तथा एवं एन0 एच0 ए0 आई0 के क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच Co-odination नही होने के कारण परियोजना में हो रही विलम्ब के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों एवं एन0 एच0 ए0 आई0 के क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच Co-ordination स्थापित करने का निदेश निदेशक, भू–अर्जन द्वारा दिया गया।

   (i) अररिया :– एन0 एच0–57 परियोजना के तहत मौजा–नरपतगंज में 500 मीटर अधिग्रहण से छुटी हुई भूमि को रैयतों से Consent पर लेकर इस समस्या का समाधान इस माह के अन्त तक करने का निदेश दिया गया।

   (ii) औरंगाबाद :– एन0 एच0–02 में 6 लेन औरंगाबाद से वाराणसी तक 26 ग्राम का पंचाट घोषित। 21 ग्रामों का दखल–कब्जा प्राप्त। शेष 5 ग्राम में दखल–कब्जा संरचना के कारण अप्राप्त। इस संबंध में निदेशक, भू–अर्जन द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दखल कब्जा अविलम्ब अधियाची विभाग को सौपा जाय।

   (iii) भागलपुर :–एन0 एच0–31 में खगड़िया से पूर्णियाँ तक, चक्रामी ग्राम में 500 मीटर में अतिक्रमण के कारण कार्य अवरूद्ध। मामला पुनर्वास एवं पुनःस्थापन से संबंधित होने के कारण पुनर्वास हेतु मौजा–खैरपुर में भूमि अधिग्रहित किया गया है। परन्तु अधिग्रहित भूमि से मुख्य सड़क के बीच सम्पर्क पथ नहीं होने के कारण पुनर्वास हेतु ग्रामीण जाना नहीं चाह रहें है, इस संबंध में समाहर्त्ता, भागलपुर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र देने का निदेश दिया गया। इस परियोजना के तहत शेष–5 ग्राम में भुगतान की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

   (iv) पूर्वी चम्पारण :–एन0 एच0–28ए0– मौजा–जोकियारी एवं सेनुअरिया का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु एन0 एच0 ए0 आई0 को प्रेषित किया गया। अधियाची विभाग से प्राक्कलन की स्वीकृति प्राप्त होत ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

   (v) गया :–एन0 एच0–83– गया–पटना डोभी– प्राप्त राशि–150 सौ करोड़ में से 73 करोड़ भुगतान किया गया। डोभी के पास भूमि की दर के कारण मामला मध्यस्थ के पास लंबित। प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि भूमि की किस्म/प्रकृति छः सदस्यीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निर्धारित किया जाय। इस संबंध में एन0 एच0 ए0 आई0 के0 पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि यदि छः सदस्यीय समिति द्वारा भूमि की प्रकृति आवासीय निर्धारित की जाती हैं तो एन0 एच0 ए0 आई0 आवासीय के दर भुगतान करने के लिए तैयार है। इस संबंध में समाहर्त्ता, गया को कार्रवाई हेतु विभागीय पत्र भेजने का निदेश दिया गया ।

(vi) **गया**:–एन0 एच0–02 के रकबा–31.076 एकड गैर मजरूआ भूमि का अभिलेख निदेशालय द्वारा मांगा गया था, जो अब तक जिला स्तर पर लंबित है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि अधियाची विभाग द्वारा राशि उपलब्ध नहीं उपलब्ध करायी गया है। इस संबंध में एन0 एच0 ए0 आई0, धनबाद द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। इस मामलें में आर0 ओ0, एन0 एच0 ए0 आई0, पटना द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी एन0 एच0 ए0 आई0, धनबाद को निदेशित किया की जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया के साथ समन्वय स्थापित करें तथा वांछित कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाय।

(vii) **जहानाबाद** :–एन0 एच0–83– गया–पटना डोभी परियोजना में 25 प्रस्ताव में से 5 मौजों का दखल–कब्जा अप्राप्त है। इन मौजों में भूमि का किस्म या प्रकृति निर्धारण के विषय में छः सदस्यीय समिति द्वारा निर्णय अभी तक नहीं निर्णय दिये जाने के परिणामस्वरूप योजना लंबित है।

(viii) कैमूर :–एन0 एच0–02– 27 मौजों में संरचना से 23 मौजों का अवार्ड घोषित, शेष 4 मौजों में संरचना का अवार्ड का गठन दिनांक–31.03.15 तक पूरा कर लिया जायेगा। कुल–34 मौजों में से 6 मौजों में भूस्वामी द्वारा कार्य बाधित के कारण मामला Arbitration में।

(ix) **खगड़िया**:–एन0 एच0–107 के तहत–3.85 हे0 भूमि का 3ए स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक–13.02.2015 को प्रकाशित किया जा चुका है तथा इसका 3डी0 दिनांक–31.03.2015 तक जारी करने का निदेश दिया गया है।

(x) **मधेपुरा** :–एन0 एच0–107– परियोजना के तहत 69.92 हे0 भूमि का 3ए0 प्रकाशन एन0 एच0 ए0 आई0 मुख्यालय द्वारा एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित की जायेगी।

(xi) **मुजफ्फरपुर** :–एन0 एच0–77 परियोजना के अन्तर्गत रजला, फतेपुर, कस्तुरी, सकड़ी, मघौल, सदतपुर, के ग्रामीणों द्वारा मुआवजा राशि नहीं प्राप्त करने के कारण मामला Arbitration में है। इस संबंध में निदेशक, भू–अर्जन द्वारा निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर परियोजना पूरी कर ली जाय। ग्राम मझौला में ग्रामीणों द्वारा समस्या उत्पन्न करने के कारण मामला Arbitration में एक सप्ताह के अन्दर भेजने का निदेश दिया गया।

(xii) **पटना**:–एन0 एच0–30 बकास्त भूमि की समस्या को हल करने हेतु मामला डी0 सी0 एल0 आर0 के पास लंबित। इस संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वारा डी0सी0एल0आर0, पटना को दूरभाष से निदेशित किया गया।

(xiii) **पटना**:–एन0 एच0–30 एवं 84 के तहत भुगतान उच्च स्तर पर लंबित रहने के संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि इस परियोजना के जिस भाग में भूमि की किस्म या प्राकृति की समस्य नहीं है उस भाग में रैयतो को भुगतान पूरी की जाय। शेष राशि से संबंधित हितवद्ध रैयतों का नाम नोटिस बोर्ड पर लगा दें।

(xiv) **रोहतास** :–एन0 एच0–02 परियोजना के अन्तर्गत 6 गाँव का पंचाट लंबित। इस संबंध में दिनांक–31.03.2015 तक पूरा करने का निदेश दिया गया।

(xv) **सारण** :–एन0 एच0–19 परियोजना के अन्तर्गत 79 मौजा में से 77 का दखल–कब्जा प्राप्त। शेष एक मौजा–मनोहरपुर, अचल–दानापुर में होने के कारण खेसरा पंजी तैयार नहीं होने के कारण मामला लंबित। इस संबंध में निदेश दिया गया कि डी0 एल0 ए0 ओ0 एवं अपर समाहर्त्ता आपस में बैठक कर खेसरा पंजी तैयार करें। मौजा–मथुरापुर और मनोहरपुर का दखल–कब्जा दिनांक–31.03.2015 तक समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(xvi) **सिवान** :–एन0 एच0–81 पुनर्वास एवं पुनःस्थापन की समस्या के संबंध में एन0 एच0 ए0 आई0 को निदेश दिया गया कि पुनर्वास एवं पुनःस्थापन की समस्या को हल करें अथवा एलाईमेंट परिवर्तन करे। एन0एच0ए0आई0 सिवान द्वारा बताया गया कि नये दर पर भूगतान करने में असमर्स्थ है। प्राक्कलन नए अधिनियम के तहत प्राप्त होने के उपरान्त जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जायगी। मामला मंत्रालय के पास लंबित है।

(xvii) **भोजपुर** एन0 एच0–30 एवं 84 पटना बक्सर– परियोजना के तहत शेष चार गाँव का प्राक्कलन (3G) अधियाची विभाग से अप्राप्त। इस संबंध में निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर अधियाची विभाग उपलब्ध कराये । शेष दस गांव का दखल–कब्जा अधियाची विभाग को सौपा नहीं गया है संबंधित एन एच ए आई के अधिकारी के बैठक में अनुपस्थित होने के कारण मामलें की समीक्षा नहीं हो सकी।

6. पावरग्रीड/विद्युत उप केन्द्र तथा थर्मल पावर परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को पुनः दिया गया। इस विषयक भू–अर्जन कार्यो में किसी भी समस्या की स्थिति में अविलम्ब निदेशक, भू–अर्जन से दूरभाष पर सम्पर्क करने तथा अवश्यकतानुसार पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

(i) विधुत ताप गृह परियोजना चौसा, बक्सर :– 121 करोड़ प्राप्त राशि में से 95 करोड़ हितबद्ध रैयतों को भुगतान। शेष राशि का भुगतान की कार्रवाई जारी है।

(ii) विधुत ताप गृह परियोजना, कजरा, लखीसराय :– राशि अधियाची विभाग से अप्राप्त होने के कारण भुगतान की कार्रवाई बाधित है।

(iii) विधुत ताप गृह परियोजना, पीरपैंती, भागलपुर :–821.67 करोड़ प्राप्त राशि में से 370 करोड़ हितबद्ध रैयतों को भुगतान। शेष राशि का भुगतान की कार्रवाई जारी है। इस परियोजना से संबंधित स्थापना व्यय की राशि के संबंध में निदेश दिया गया कि स्थापन व्यय एक सप्ताह के अन्दर सुसंगत खाता में जमा करें।

7.. रेलवे से संबंधित सभी परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन की समीक्षा की गई। जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों द्वारा यह मामला उठाया गया कि रेलवे द्वारा कई परियोजनाओं को मिलाकर राशि दी जाती है। परन्तु समीक्षा मौजा के आधार पर किया जाता है। कतिपय रेलवे परियोजनाओं में राशि अप्राप्त रहने की सूचना संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा दी गयी

(i) सारण जिला अन्तर्गत गंगा रेल सह–सड़क पुल परियोजना :–भरपुरा अवार्ड घोषित। भरपुरा ग्राम में 2.59 एकड़ अवैध अतिक्रमण से खाली कराई जा रही है। शेष मोजा जहाँगीरपुर एवं गंगाजल 4 में भुगतान एवं दखल पूर्ण । पंचाट घोषित

(ii) देवघर–सुल्तानगंज–बाँका नई रेलवे परियोजना के संबंध में निदेश दिया गया कि गैर मजरूआ आम भूमि के लिए एस0 डी0 ओ0 के साथ बैठक कर समस्या का निराकरण एक माह के अन्दर करें।

(iii) गया–चतरा नई रेल लाईन :– 5 ग्राम में से 2 ग्राम का भुगतान की कार्रवाई जारी है। शेष 3 मौजों की राशि अधियाची विभाग से अप्राप्त होने के कारण भुगतान की कार्रवाई बाधित है।

8. पथ निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं यथा राजकीय उच्च पथ, आर0सी0सी0 पुल, इत्यादि के भू–अर्जन कार्यों के प्रगति की जिलावार समीक्षा की गई है। इस संबंध में संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को यथावांछित निदेश दिया गया एवं लंबित कार्रवाई को यथाशीघ्र पूरा करने हेतु निदेशित किया गया।

(i) पटना जिला अन्तर्गत एस0 एच0–78 परियोजना के अन्तर्गत डिहरी–जमालपुर, पाली चादर, पैनापुर में रैयतों द्वारा भूमि का दर और प्रकृति को लेकर विरोध के निराकरण हेतु निदेश दिया गया कि इस मामले को सिविल कोर्ट में रेफर कर दिया जाय। इस परियोजना से संबंधित बकास्त भूमि के संबंध में निदेश दिया गया कि समाहर्त्ता, पटना और डी0 सी0 एल0 आर0, दानापुर इस मामले का हल आपस में बैठक कर अविलम्ब निकाले।

(ii) नालन्दा एस0 एच0–78 परियोजना के अन्तर्गत 5 गाँव का अधियाचना नए अधिनियम के तहत प्राप्त। इस परियोजना के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

9. भू–अर्जन से संबंधित माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर प्रथम अपील, सी0 डब्लू0 जे0 सी0, एल0 पी0 ए0, इत्यादि मामलों का निष्पादन हेतु वांछित कार्रवाई ससमय पूरा करने का निदेश सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को पुनः दिया गया। बैठक में इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर विभिन्न वादों में पारित न्यायादेश का अनुपालन ससमय किया जाय। न्यायादेश का अनुपालन में विलंब होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सरकार के विरूद्ध अवमाननावाद याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दायर किये जाते हैं। फलस्वरूप, सरकार स्तर पर अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा राजकीय कोष का अपव्यय भी होता है। सी0 डब्लू0 जे0 सी0 के संबंध में निदेश दिया गया कि जैसे ही माननीय पटना

उच्च न्यायालय से नोटिस प्राप्त होता है, वैसे ही अगली तिथि की प्रतीक्षा किए बिना प्रतिशपथ पत्र दायर की जाय।

10. बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई कि कतिपय जिला भू–अर्जन पदाधिकारी बैठक में भाग नहीं लेते है तो वे जिला भू–अर्जन कार्यालय के अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी को अपने स्थान पर बैठक में सम्मिलित होने हेतु बिना समाहर्त्ता के प्राधिकृत किये भेज देते है, जो नियमानुकूल नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी निदेशित किया जा चुका है।

11. बैठक में बेगूसराय, गोपालगंज, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सुपौल, जमुई और कटिहार के जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण उक्त जिला से संबंधित परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा नहीं हो पाई । इस संबंध में निदेशक, भू–अर्जन द्वारा निदेश दिया गया कि बैठक में अनुपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/ प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त की जाय।

बैठक की अगली तिथि 08.04.2015 (बुधवार) निर्धारित है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

ह0/–

(शशि भूषण तिवारी)
निदेषक–सह–विशेष सचिव,
भू–अर्जन।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. बैठक (जि0भू0अ0पदा0 कार्यवाही)–19/11–303/पटना, दिनांक–24/03/2015

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, के आप्त सचिव बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, के आप्त सचिव बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/प्रवंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/भागलपुर/मुंगेर/मगध/पुर्णियां/कोसी/सारण/तिरहुत/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
11. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
12. उप मुख्य अभियंता/नि0/भूमि/महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
13. प्रवंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
14. उप महाप्रबंधक(एस0टी0), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना–800001 को सूचनार्थ प्रेषित।
15. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विधुत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विधुत भवन–II, बेली रोड, पटना।
16. उप मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, राजगीर को सूचनार्थ प्रेषित।
17. उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
18. उप मुख्य अभियंता, हरनौत रेल कारखाना, पूर्व मध्य रेलवे, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।
19. उप मुख्य अभियंता, गंगा ब्रीज, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
20. अधीक्षण अभियंता, एस0एस0बी0 मुख्यालय, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
21. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, डी0–63, श्री कृष्णापुरी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
22. प्रबंधक, (तकनीकी), पी0आई0यू0, एन0एच0ए0आई0, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
23. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24/3/15

निदेशक–सह–विशेष सचिव,
भू–अर्जन।